



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

आदेश

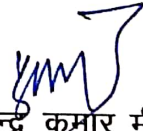
क्रमांक /4782/रीडर/जि0दण्डा0/2021

कोण्डागांव दिनांक 30/12/2021

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक 564/सा.सा.प्र.वि./2021 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30/12/2021 के माध्यम से जारी निर्देशानुसार कोविड-19 एवं नये वेरियंट ओमिक्रॉन के संक्रमण के नियंत्रण हेतु धार्मिक, खेलकुद, सामाजिक एवं अन्य समस्त प्रकार के आयोजनों हेतु तथा नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम स्थलों पर केवल एक तिहाई क्षमता तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति दी जाती है।

2. किसी भी प्रकार के कार्यक्रम/सभाओं के आयोजन में 200 से अधिक व्यक्ति उपस्थित होने पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा इसका कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।


(पुष्पेन्द्र कुमार मीणा)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

कोण्डागांव दिनांक 30/12/2021

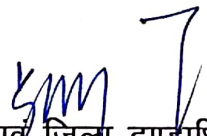
पृ. क्रमांक /4782A/रीडर/जि0दण्डा0/2021

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।



4. आयुक्त महोदय, बस्तर संभाग (जगदलपुर) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सर्व थाना प्रभारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सहायक संचालक जनसम्पर्क जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. समस्त कार्यालय प्रमुख.....जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सर्व संबंधितोंको सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

